

## प्रेसनोट दिनांक 22.07.2021

1. दिनांक 21.07.21 को वादी उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्याम करन पुत्र देवी प्रसाद नि0 कर्मा कोडरी थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 467/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 21.07.21 को वादी उ0नि0 श्री मुनिमन रंजन दूबे थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिशु त्रिपाठी पुत्र त्रिलोकी नाथ नि0 नुनखार थाना खूकुन्द देवरिया गिर0 अभि0 के कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 20 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 468/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 21.07.21 को वादी उ0नि0 श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बृजेश कुमार पुत्र हौसिला प्रसाद नि0 मदारीपुर थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 339/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 21.07.21 को वादी उ0नि0 श्री राहुल कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामगाविन्द पुत्र विजय कुमार नि0 बिकावल थाना को0रुदौली अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 191/22 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।